उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्या : 778/08/E-4/JE(DR)/2023-24 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

विज्ञप्ति

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023'

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023' के ऑनलाइन आवेदन में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पृच्छाओं के क्रम में निम्नवत स्पष्ट किया जाता है :–

1. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' के सापेक्ष आवेदन किया गया था एवं जो प्रश्नगत नवीन विज्ञापन की आयु सीमा निर्धारण तिथि 01 जुलाई, 2023 को अधिवयस्क (Over age) हो रहे हैं, को ऑनलाइन आवेदन के प्रारम्भ में पूछे गये निम्नलिखित प्रश्न के प्रत्युत्तर में **हाँ** का विकल्प भरना आवश्यक है :–

Personal Information/व्यक्तिगत जानकारी Have you applied against Advertisement No : A-3/E-42021-22 Dated 26-11-2021 (Junior Engineer) published by UKPSC (क्या आपने यूकेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या : दिनांक 26.11.2021 (कनिष्ठ अभियंता) हेतु पूर्व में आवेदन किया था) ○ Yes ○ No

तत्क्रम में उक्त प्रश्न के सापेक्ष दिये गये निर्धारित स्थान पर पूर्व परीक्षा का पंजीकरण संख्या (Application Number) आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in/ukpsc.net.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

2. उक्तांकित बिन्दु संख्या–1 से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जुलाई, 2023 से की जायेगी चाहे उनके द्वारा बिन्दु संख्या–1 में अंकित प्रश्न के सापेक्ष **हाँ** का विकल्प चुना गया हो अथवा नहीं।

उक्त के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो वे ukpschelpline@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव